# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी, श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 23/2024

जीसीएमएस सं. – 2024/67

–:: वादी ::–

रूगाराम पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. छोगाराम पुत्र जगाराम
2. जीयाराम पुत्र जगाराम
3. महीराम पुत्र जगाराम
4. सीयाराम पुत्र जगाराम
5. कानाराम पुत्र किस्तुरराम
6. बाबुलाल पुत्र किस्तुरराम
7. किशनाराम पुत्र धूलाराम
8. मुकनाराम पुत्र हरदेवराम
9. सुखाराम पुत्र पनाराम
10. सोनाराम पुत्र बींजाराम

सभी जातियान विश्नोई निवासीगण कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

11. सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**दर्ज तारीख :– 19.02.2024**

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह, अधिवक्ता वादी
2. श्री राजेन्द्र देवड़ा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 6, 7, 8, 9.

**निर्णय** दिनांक :08.08.2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 क्षेत्रफल 2.5807 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 486 क्षेत्रफल 1.5047 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमियां आई हुई है जिसको आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 485 के वादी व प्रतिवादीगण अभिलिखित सहखातदार काश्तकार है, वादग्रस्त आराजी में वादी का 37/72 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 1/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या दो का 1/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या तीन का 1/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या चार का 1/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या पांच का 1/24 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या छः का 1/24 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या सात का 1/180 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या आठ का 19/180 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या नौ का 1/8 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या दस का 1/12 वां हिस्सा निहित है। माफिक हक हिस्से अनुसार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वादी व प्रतिवादी संख्या एक से दस अलग अलग काबिज होकर अलग अलग काश्त कार्य करते आये है एवं उपयोग व उपभोग करते आये है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 486 के वादी व प्रतिवादीगण अभिलिखित सहखातदार काश्तकार है वादग्रस्त आराजी में वादी का 41/80 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 1/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या दो का 1/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या तीन का 1/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या चार का 1/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या पांच का 1/24 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या छः का 1/24 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या सात का 9/160 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या आठ का 9/160 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या नौ का 1/8 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या दस का 1/12 वां हिस्सा निहित है। माफिक हक हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या एक से दस अलग अलग काबिज होकर अलग अलग काश्त कार्य करते आये है एवं उपयोग व उपभोग करते आये है। वादग्रस्त भूमि पर वादी के बंट व कब्जेकाश्त की भूमि के चारों तरफ पक्की दीवार निर्मित की हुई है, प्रतिवादी सुखाराम के बंट में सुखाराम का मकान बना हुआ है। प्रतिवादी छोगाराम, जीयाराम, महिराम, सियाराम, सोनाराम, बाबुलाल, किशनाराम मुकनाराम, किशनाराम व वादी के बाड़े बने हुए है। वादग्रस्त आराजी का आज से करीब पचास वर्षो पहले आपसी सहमती से मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है एवं माफिक हक हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अलग अलग काबिज होकर अलग अलग काश्त कार्य एवं उपयोग उपभोग करते आये है, मौके पर कब्जेकाश्त अनुसार ही बंटवाड़ा किया जावे। वादग्रस्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या एक से दस का माफिक हक हिस्सा अनुसार अलग अलग कब्जा काश्त है एवं वादी व प्रतिवादीगण अलग अलग काबिज होकर अलग अलग काश्त कार्य करते आये है लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी सयुंक्त खातेदारी में दर्ज है एवं अविभाजित कृषि भूमि है जिसका आज दिन तक कानून अनुसार माप व सीमांकन के बंटवाडा किया हुआ नही है इसलिए वादग्रस्त आराजी का माप व सीमांकन के बटवाड़ा करवाकर वादग्रस्त आराजी वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि वादी बंटवाडा में प्राप्त करने का अधिकारी है वादग्रस्त आराजी का माप व सीमांकन के बंटवाडा किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्से अनुसार भूमि बंटवाडा में रखी जावें एवं अलग से लगान कायम किया जावें। इस पर यह वाद बाबत बंटवाडा का पेश है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक से दस से निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का माफिक हक हिस्सानुसार एवं मौके पर कब्जे काश्त अनुसार तहसील कार्यालय मे चलकर कानून अनुसार बंटवाडा करवा लेते है, लेकिन प्रतिवादी संख्या एक से दस द्वारा हमेशा टालमटोल की जा रही है व दिनांक 11.02.2024 को प्रतिवादी संख्या एक से दस ने वादी को ऐलानिया कहा कि वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा नही करेगे एवं मौके की किमती भूमि पर कब्जा कर लेगे जबकि प्रतिवादी संख्या एक से दस को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है जिन्हे न्यायहित में जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी है इस पर यह वाद बाबत बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। इंस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार से है :– वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या एक से दस के विरूद्ध बंटवाड़ा की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि ग्राम कोसाणा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 485 क्षेत्रफल 2.5807 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 486 क्षेत्रफल 1. 5047 हैक्टेयर भूमि का मौके पर कब्जेकाश्त अनुसार माप व सीमांकन के बंटवाडा किया जाकर वादी के हक हिस्से व कब्जे वाली भूमि वादी के बंट में रखी जावें एवं अलग से

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

तरमीम की जाकर अलग लगान कायम किये जाने की डिकी सादिर फरमावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. एक से दस के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावें कि वादी के बंट व हिस्से में आई भूमि पर प्रतिवादी सं. एक से दस न तो स्वयं दखलअंदाजी उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें। अन्य अनुतोष हो हित वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमावें।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 10 के सम्मन पूर्व में बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 6, 7, 8, 9, की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र देवड़ा ने वकालतनामा व एडमिटेड जवाब प्रस्तुत जिसमें बताया कि अगर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जाती हैं कोई आपति नही हैं। प्रतिवादी सं. 11 तहसीलदार पीपाड़ शहर को प्रकरण में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्राथमिक डिकी दिनांक 16.05.2024 को जारी की गयी।

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम कोसाणा के खसरा नम्बर 485 व 486 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सां एवं उनके कब्जे काश्त का माप व सीमांकन का बंटवाड़ा किया उचित प्रतीत होता हैं। अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि वादग्रस्त आराजी मौजा कोसाणा के खसरा 485 व 486 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स व मौके पर कब्जा काश्त का ध्यान रखते हुए राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1959 के नियम 18 से 22 की अक्षरशः पालना करते हुए प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस आशय की प्राथमिक डिकी दिनांक 16.05.2024 जारी की गयी।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया हैं कि वादग्रस्त भूमि के बीच में खसरानम्बर 483 रक़बा 0.0081 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा व खसरानम्बर 0.0728 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा आई हुई हैं। बेरा वाली भूमि मौके पर समतल की हुई हैं तथा कूएं के मौके पर कोई आलामात नही हैं दोनो कूएं वाली भूमि वादी के बंट में रखी हुई है जिस पर वादी का ही कब्जा व उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। वाद पत्र टाईप करते समय माननीय भूलवंश उक्त दोनो खसरान् को वादग्रस्त भूमि के रूप में नही दर्शाया है इसलिए न्यायहित में निवेदन है कि वाद पत्र में संशोधन किया जाकर वादपत्र के पद सं. 1 में खसरा नम्बर 483 रकबा 0.0081 हैक्टयर गै.मु.बेरा व खसरा नम्बर 484 रकबा रकबा 0.0728 किस्म गै.मु.बेरा को भी वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावें व अनुतोष में भी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 485, 486 के साथ साथ खसरानम्बर 483, 484 के बंटवाड़े की डिकी सादिर फरमावें। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र संशोधन की अनुमति प्रदान करावें, जिस पर वकील प्रतिवादी की सहमति पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को संशोधित किया गया। व संशोधित प्राथमिक डिकी पर्चा जारी किया गया।

8/6

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार पीपाड शहर मौके पर जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 09.07.2024 को पत्रांक भू.अ./2024/1819 द्वारा प्रस्तुत किया। जिसके पैरा सं. 03 के अनुसार वादग्रस्त आराजी का निम्नानुसार विभाजन प्रस्तावित किया ।

ग्राम पीपाड शहर

| क्र. सं. | सहखातेदार का नाम | खसरा संख्या | रकबा (हेक्टयर) | किस्म जमीन | लगान रूपये | सीमाओं का वितरण जहाँ एक ही खसरे को विभाजन किया गया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रूघाराम पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार | 483<br>484<br>485<br>486<br>486 | 0.0081<br>0.0728<br>1.6018<br>0.6330<br>0.0299 | गै.मु.बेरा<br>गै.मु.बेरा<br>B I<br>B I<br>B I | | सालम नम्बर<br>सालम नम्बर<br>संलग्न नजरी नक्शा अनुसार<br>संलग्न नजरी नक्शा अनुसार<br>संलग्न नजरी नक्शा अनुसार |
| | | 05 | 2.3456 | | | |
| 2 | मुकनाराम पुत्र हरदेवराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार | 485<br>486 | 0.1051<br>0.0590 | B I<br>B I | | संलग्न प्रस्ताव अनुसार<br>संलग्न प्रस्ताव अनुसार |
| | | 2 | 0.1641 | | | |
| 3 | किशनाराम पुत्र धूलाराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार | 486 | 0.0465 | B I | | संलग्न प्रस्ताव अनुसार |
| | | 7 | 0.5012 | | | |
| | | | | | | |

| क्र. सं. | सहखातेदार का नाम | खसरा संख्या | रकबा (हेक्टयर) | किस्म जमीन | लगान रूपये | सीमाओं का वितरण जहाँ एक ही खसरे को विभाजन किया गया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | रूघाराम पुत्र नारायणराम 1/3<br>मुकनाराम पुत्र हरदेवराम 1/3<br>किशनाराम पुत्र धूलाराम 1/3<br>कौम विश्नोई सा. देह खातेदार | 485 | 0.0405 | B I | | संलग्न प्रस्ताव अनुसार |
| 5 | कानाराम पुत्र किस्तुरराम 1/8<br>बाबूलाल पुत्र किस्तुरराम 1/8<br>सोनाराम पुत्र बींजाराम 1/4<br>सुखाराम पुत्र पनाराम 1/4<br>सीयाराम पुत्र जगाराम 1/16<br>छोगाराम पुत्र जगाराम 1/16<br>महीराम पुत्र जगाराम 1/16<br>जीयाराम पुत्र जगाराम 1/16<br>कौम विश्नोई सा देह खातेदार | 485<br>486 | 0.8333<br>0.7363 | B I<br>B I | | संलग्न प्रस्ताव अनुसार<br>संलग्न प्रस्ताव अनुसार |
| | | 2 | 1.5696 | | | |

बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर दोनो वकुलायो की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने पीडी पालना में तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिकी जारी किये जाने की सहमति प्रदान की । किसी ने भी किसी प्रकार की आपति नही जताई । अतः प्राथमिक डिकी की पालना में पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन का वाद स्वीकार योग्य होने सें स्वीकार किया जाता हैं।

## आदेश

उपर्युक्त विवेचनोपरांत एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि मौजा कोसाणा पटवार हल्का कोसाणा भू.अ.नि. कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर के खाता सं. 66 खसरा नम्बर 485 रकबा 2.5807 हैक्टयर व खाता सं. 524 खसरा नम्बर 486 रकबा 15047 हैक्टयर का विभाजन तहसीलदार द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव के पैरा सं. 03 के अनुसार किया जाकर सम्बन्धित

8/8

काश्तकारों को संबधित हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं ग्राम कोसाणा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 485 रकबा 2.5807 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 486 रकबा 1.5047 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.0081 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.0728 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा भूमि हैं। मौके पर कब्जे काश्त अनुसार माप एवं सीमांकन के बंटवाड़ा किया जाकर वादी के हक हिस्से व कब्जे वाली भूमि वादी के बंट में रखी जावें एवं अलग से तरमीम की जाकर अलग से लगान कायम किये जावें । तहसीलदार द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उभय पक्षकारान एवं दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य नौकर एजेन्ट/परिचित से करवाये इस अमर आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करें । तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु तहरीर जारी हो । उभय पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ए इजलास सुनाया गया।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
( आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
( Civil Procedure Code, Appendix D & I)

# अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास श्री दूदाराम हुड्डा R.A.S.

## रूगाराम बनाम छोगाराम वगैरा

दावा बाबत 53,188 आर टी एक्ट राजस्व मूल वाद संख्या 23/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील **ओमप्रकाश कच्छावाह** मनजानिब मुदई वकील राजेन्द्र देवड़ा मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **मौजा** कोसाणा पटवार हल्का कोसाणा भू.अ.नि. कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर के खाता सं. 66 खसरा नम्बर 485 रकबा 2.5807 हैक्टयर व खाता सं. 524 खसरा नम्बर 486 रकबा 15047 हैक्टयर का विभाजन तहसीलदार द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव के पैरा सं. 03 के अनुसार किया जाकर सम्बन्धित काश्तकारों को संबधित हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं ग्राम कोसाणा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 485 रकबा 2.5807 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 486 रकबा 1.5047 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.0081 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.0728 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा भूमि हैं। मौके पर कब्जे काश्त अनुसार माप एवं सीमांकन के बंटवाड़ा किया जाकर वादी के हक हिस्से व कब्जे वाली भूमि वादी के बंट में रखी जावें एवं अलग से तरमीम की जाकर अलग से लगान कायम किये जावें । तहसीलदार द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उभय पक्षकारान एवं दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य नौकर एजेन्ट/परिचित से करवाये इस अमर आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करें । अन्तिम डिक्री पर्चा जारी किया जाता हैं।

लीज ............शून्य ................मुवलिक ........शून्य............ बाबत ............शून्य............ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद.............................शून्य.................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..............शून्य...................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.08.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..........
ओहदा..........

| मुदई | रूपया | पै. | मुदायला | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजोदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुकमनामा<br>मुतफर्रिक<br>मीजान......... | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुकमनामा<br>मुतफर्रिक<br>मीजान........ | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।